राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5186/2022

सीमा कुमारी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य अधिशाषी अधिकारी जिला परिषद, टोंक।
4. जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा, टोंक।
5. मुख्य अधिशाषी अधिकारी जिला परिषद चित्तोड़गढ़
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा चित्तोड़गढ़

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.10.2022
आदेश की दिनांक : 14.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम. एस. काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अपील अपीलार्थी के अभ्यावेदन दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–5) पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, जिसे चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी अध्यापक तृ.श्रे. लेवल–I के पद पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तुरकड़ी, पंचायती समिति बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़ में कार्यरत है। अपीलार्थी का निवास स्थान उसके कार्यालय स्थान से लगभग 250 कि.मी. दूर स्थित है। अपीलार्थी के पति सीताराम हरिजन भी राजकीय सेवा में प्रबोधक लेवल–I के पद पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कंजर बस्ती, सोप, उनियारा जिला टोंक में कार्यरत है। अपीलार्थी के सास–ससुर वृद्ध है एवं वह अक्सर बीमार रहते है। अपीलार्थी के बच्चे भी छोटे है। इनकी देखभाल करने वाला परिवार में अपीलार्थी व उसके पति के अलावा अन्य को व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को राजकीय बालिका उच्च

प्राथमिक विद्यालय, सोप (463227), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुबारक नगर (490325) एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बरडा मालियान, अलीगढ (523221) में से किसी भी विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने का श्रम करें।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दें। यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिये नहीं दिये जा रहे हैं, वरन् मात्र इस आशय से दिये जा रहे हैं कि अभ्यावेदन को निर्धारित अवधि में नियमानुसार निस्तारित किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम. एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य